fo/kk;d fuf/k vkj oLrqfLFkfr

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह एक साहसिक कदम है और राजनैतिक स्तर के भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में सार्थक पहल है। श्री नीतीश कुमार के पास इस निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक जनादेश है। झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने भी इस बारे में सार्वजनिक घोषणा किया है और कहा है कि बिहार और झारखंड में परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। इसलिए विधायक निधि का प्रावधान एकबारगी समाप्त करने की जगह उनकी सरकार इस निधि का उपयोग नियंत्रित करेगी। विधायक निधि से कार्यान्वित होने वाली योजनायें अब झारखंड में खुली निविदा द्वारा करायी जायेंगी। राजनीतिक परिस्थिति की भिन्नता के मद्देनजर श्री मुंडा का यह निर्णय भी सही दिशा में एक सराहनीय कदम है। विधायक निधि के बारे में बिहार और झारखंड सरकार की घोषणायें भले अलग प्रकार की है, परंतु दोनों का नजरिया इस बारे में एक जैसा है। दोनों ही निर्णयों का निहितार्थ है कि विधायक निधि के उपयोग में राजनैतिक स्तर का भ्रष्टाचार हाबी है।

इस संदर्भ में झारखंड की दो घटनाओं का उल्लेख मुझे प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। ये घटनायें विधायिका और कार्यपालिका की स्थिति को विधायक निधि के संबंध में रेखांकित करने वाली है। इनसे राज्य की सरकार, राज्य की विधानसभा, राज्य के प्रभावशाली पदों पर बैठे प्रशासनिक पदाधिकारियों और राज्य के कतिपय विधायकों का व्यावहारिक दृष्टिकोण विधायक निधि की महत्ता, उपयोगिता और इससे जुड़े भ्रष्टाचार की स्वीकार्यता एवं ग्राह्यता के बारे में उजागर हो जाते हैं। दोनों घटनायें चालू वर्ष 2010 की है। पहली घटना विधायक निधि के आवंटन की राज्य सरकार द्वारा नियम एवं परम्परा के विरुद्ध निर्णय लेने की है। 2009 के दिसम्बर के अंत में झारखंड की तृतीय विधानसभा का गठन आम चुनाव के उपरांत हुआ। इसके पहले 19 फरवरी, 2009 से झारखंड राष्ट्रपति शासन के अधीन था। चूंकि राष्ट्रपति शासन लागू होते ही झारखंड विधानसभा निलंबित हो गयी थी। 1 अप्रील, 2009 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष 2009–10 का वार्षिक बजट संसद से पारित हुआ। संसद द्वारा पारित राज्य के वार्षिक बजट मं विधायक निधि के लिए आवंटन नहीं था। विधानसभा निलंबित रहने की अवधि में विधायकों को विधायक निधि से योजनाओं की अनुशंसा करने का अधिकार नहीं था। जो विधायक इसके पहले के वित्तीय वर्ष 2008–09 में अपने विधायक निधि का पूरा पैसा 19 जनवरी, 2009 तक खर्च नहीं किया था, वे भी बची हुई निधि को व्यय करने के अधिकार से वंचित हो गये थे।

जब तृतीय झारखंड विधान सभा का गठन 2009 के 28 दिसम्बर को हुआ तो नियम और परम्परा के अनुसार नवनिर्वाचित विधायकों को जनवरी, 2010 से मार्च, 2010 के तीन महीना के लिए ही विधायक निधि का आवंटन होना था। परंतु राज्य सरकार ने विधान सभा में अनुपूरक बजट प्रस्ताव रखकर 1 अप्रील, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 के लिए विधायक निधि मद में 3 करोड़ रुपया का आवंटन प्रत्येक विधायक को कर दिया। यानी जिस अवधि में विधान सभा निलंबित थी, निलंबित विधान सभा अवधि में विधायक निधि से व्यय करने के विधायकों के अधिकार पर रोक थी, जिस अवधि के लिए भारत की संसद ने वार्षिक बजट में विधायक निधि का प्रावधान नहीं किया था और सबसे बढ़कर जिस अवधि के लिए ये लोग विधायक चुने गए थे, उस अवधि के लिए भी समय की सूई को 9 महीना पीछे खिसकाकर राज्य सरकार ने विधायक निधि का प्रावधान कर दिया।

राज्य की विधान सभा ने भी इस पर मुहर लगा दिया। आश्चर्य है कि वित्त संबंधी संचिकाओं पर नियमों का हवाला देकर नुक्काचीनी करने वाले वरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने इस बारे में प्रासंगिक संचिका पर नियम एवं परम्परा का उल्लेख करना उपयुक्त नहीं समझा। क्योंकि सवाल विधायक निधि का जो था। इस निधि की गरिमा का प्रभाव कार्यपालिका, विधायिका, सरकार के सिर चढ़कर बोलता है। सभी नियम, कानून, परम्परायें इसके सामने शिथिल है।

दूसरी घटना पूर्वी सिंहभूम जिला के प्रबंध पर्षद् की बैठक में जमशेदपुर पश्चिम के माननीय विधायक द्वारा विधायक निधि से कार्यान्वित होने वाली उनके विधान सभा क्षेत्र की योजनाओं में रिश्वत लेना स्वीकार करने की है। प्रबंध पर्षद् की दिनांक 5 अक्टूबर, 2010 की बैठक में विधायक निधि में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक अभियंता ने उन्हें 9 लाख रुपया बतौर रिश्वत दिया है, जो उनके घर में पड़ा है। इस बैठक में पूर्वी सिंहभूम जिला के उपायुक्त, उप विकास आयुक्त, जमशेदपुर और मानगो अधिसूचित क्षेत्रों के विशेष पदाधिकारी, डीआरडीए के पदाधिकारी, कार्य विभागों के अभियंतागण, कतिपय विधायक, सांसद प्रतिनिधि समेत 50 के करीब व्यक्ति थे। विधायक द्रारा रिश्वत की स्वीकारोक्ति से सभी सन्न रह गये। उपायुक्त महोदया ने विधायक महोदय से कहा कि वे इस बारे में प्राथमिकी दर्ज करायें। परंतु बैठक से बाहर आते ही विधायक महोदय ने पलट गये। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि एक अभियंता ने उन्हें 9 लाख रुपया की रिश्वत दिया नहीं था बल्कि देने की पेशकश किया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

कई दिनों तक विधायक जी इस घटना को लेकर मीडिया में अपनी पीछ थपथपाते रहे कि उन्होंने विधायक निधि में भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया है और इसे समाप्त करने के लिए वे संघर्ष करेंगे। जब कतिपय प्रबुद्ध नागरिकों ने यह मुद्दा बनाया कि वे रिश्वत की पेशकश करने वाले अभियंता का नाम बतायें तो वे इसका साहस नहीं जुटा सके। थोड़ी पड़ताल करने पर पता चल गया कि विधायक निधि में रिश्वतखोरी का यह मामला विधायक महोदय द्वारा जनवरी 2010 से मई 2010 के बीच में उनके द्वारा की गई अनुशंसाा से जुड़ा है, जिसे कार्यान्वित करने का आदेश एक विशेष इंजिनियरिंग डिविजन को दिया गया था। परंतु इस घटना पर विधायक निधि में भ्रष्टाचार की शासन–प्रशासन सभी मौन हैं। किसी को कार्रवाई करने की हिम्मत न आरोपी विधायक पर हो रही है और न आरोपी अभियंता पर। सभी रिश्वतखोरी के इस मामले को ठंढे बस्ते में डालने पर तुले हुए हैं। क्योंकि यह मामला विधायक निधि से जुड़ा है, जो हर नियम–परम्परा से ऊपर है।

विधायक निधि पर न केवल भ्रष्टाचार हावी है बल्कि यह निधि अपनी प्रासंगिकता भी खो चुकी है। राज्य बजट में विधायक निधि का प्रावधान करते समय तर्क दिया गया था कि अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनहित में स्थानीय क्षेत्र विकास के वैसे कार्यों को करने की अनुशंसा की प्राथमिकताओं में शामिल नहीं हो पा रहा है। बिहार जैसे राज्य में लम्बे समय से पंचायतों और नगरपा निकाओं का चुनाव नहीं हो पाने के कारण ऐसी स्थिति कम गई थी कि पंचायत के मुखिया एवं सदस्यों अथवा नगर निकाओं के वार्ड कांउसिल की नजर में विकास के जिन कार्यों की अहमियत होती है। वैसे अनेक कार्य प्रशासनिक अधिकारियों की नजर से ओझल रह जाते हैं। जब वे प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा उप विकास आयुक्त अपने कार्य क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने बैठते हैं तो गांव एवं शहरों के गली–मुहल्लों की जरुरतों को उसमें डालने के लिए जमीनी स्तर की सूचनाओं का उनके सामने अभाव रहता है। पंचायत के मुखिया और स्थानीय विधाओं के वार्ड कांउसिल जैसे स्थानीय प्रतिनिधियों के अभाव में स्थानीय विधायक इस कमी को पूरा करने के लिए

अपने स्तर से ऐसी छोटी–छोटी योजनाओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित करने के लिए एक विशेष निधि की व्यवस्था राज्य बजट में आरंभ की गई जिसे विधायक निधि अथवा सांसद निधि के रूप में जाना जाने लगा। वास्तव में यह ''स्थानीय क्षेत्र विकास निधि'' है।

समय बीतते–बीतते यह निधि विधायकों की जागीर का रूप लेते गई। इसका उपयोग अनावश्यक रूप से लचीला होते गया। इसके कार्यान्वयन में नियम–कानून–परम्परा की मर्यादा टूटने लगी। यह स्थानीय क्षेत्र विकास निधि न होकर बेलगाम ऐच्छिक निधि बन गयी। इसका स्वरूप खैरात निधि का हो गया।

विवेकवान विधायकों ने इसे व्यय करने में मर्यादित एवं कानून–सम्मत रवैया अपनाया और अपनी भूमिका योजनाओं की अनुशंसा करने तक सीमीत रखा। परंतु भ्रष्ट मानसिकता वाले विधायकों ने इसका उपयोग पॉकेटमनी की तरह करना शुरु कर दिया और योजनाओं के क्रियान्वयन को भी अपने अधीन कर लिया। ऐसे विधायकों ने विधायक निधि को सरकार की ओर से मिलने वाला तोहफा मान लिया। राज्य सरकार ने भी विधायक निधि के उपयोग में होने वाले अनियमितता और भ्रष्टाचार की ओर से आंख मूंद लिया। प्रशासनिक अधिकारियों की इसके सामने का विसात है। अब जबकि राज्य में पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं। अधिकांश नगर निकायों के चुनाव हो चुके हैं तो जो जनसमस्यायें विधायकों के माध्यम से उठती रहती है वे अब पंचायत प्रतिनिधियों, मुखिया और वार्ड कांउसिल द्वारा उठती जायेंगी। इस तरह विधायक निधि का प्रासंगिक अब नहीं रह गई है। समय की मांग है कि इसे समाप्त करने की एकमुश्त अथवा चरणबद्ध कार्रवाई अविलम्ब आरंभ होनी चाहिए।